

प्रधान महालेखाकार कार्यालय (लेखापरीक्षा-1), मध्य प्रदेश
ऑडिट भवन, झाँसी रोड, ग्वालियर

कार्यालय आदेश - 108 (हिंदी संस्करण)

सं. एसएमयू/2025-26/एफ-14/

दिनांक 10/11/2025

विषय: प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण के लिए परामर्शदाताओं का नामांकन।

क्षमता निर्माण और ज्ञान हस्तांतरण तंत्र को मजबूत करने के लिए, निम्नलिखित अधिकारियों को एक प्रशिक्षु को प्रशिक्षित करने के लिए परामर्शदाता के रूप में नामित किया जाता है, जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

क्र. सं.	परामर्शदाता का नाम एवं पदनाम	प्रशिक्षु का नाम एवं पदनाम	अभ्युक्तियाँ
1	श्री मनोज कलानी, स.ले.प.अ. (02/10897)	श्री संजय कुमार, वरि.ले.प.अ. (01/10348)	एआई के उपयोग, पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने, पायथन/ ओसीआर आदि में मार्गदर्शन करना।
2	श्री सिद्धांत दिवाकर, स.ले.प.अ.	सुश्री मिनी कुरियाकोज़, वरि.ले.प.अ. (01/10302)	ओआईओएस/टूलकिट, केएमएस, डेटा एनालिटिक्स आदि में मार्गदर्शन करना।
3	सुश्री बुलबुल गर्ग, स.ले.प.अ. (02)	श्री उमेश हरिनखेड़े, वरि.ले.प.अ. (01/10329)	टेबलो आदि का उपयोग करके डेटा विज़ुअलाइज़ेशन में मार्गदर्शन करना, पायथन/ओसीआर और एआई उपयोग।

नामित परामर्शदाता यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके संबंधित प्रशिक्षुओं को प्रमुख कार्यात्मक और व्यावसायिक पहलुओं पर मार्गदर्शन और कार्यस्थल पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। वे मासिक आधार पर परामर्श चक्र पूरा होने के बाद प्रशिक्षु के सीखने के परिणामों पर एक संक्षिप्त प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेंगे।

इसे प्रधान महालेखाकार के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

हस्ता./-

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी (एसएमयू)

सं. एसएमयू/2025-26/एफ-14/एसटीआर-2268 से 2278

दिनांक 10/11/2025

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रति-

1. सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1), म.प्र., ग्वालियर
2. उपमहालेखाकार/प्रशासन (प्रशिक्षण कक्ष हेतु)
3. संबंधित अधिकारी (परामर्शदाता एवं प्रशिक्षु)
4. वरि. ले.प.अ./आईएस विंग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. सहायक निदेशक/राजभाषा को कार्यालय आदेश के हिंदी अनुवाद हेतु।
6. गार्ड फाइल

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी (एसएमयू)